Annexure - 6

(37)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1145] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 28, 2006/आश्विन 6, 1928
No. 1145] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 28, 2006/ASVINA 6, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2006

का.आ. 1633(अ).—विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में सूचना प्रौद्योगिकी और/या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु धारा 3 की उपधारा (10) के अंतर्गत मैसर्स श्रीराम प्रोपर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के को दिनांक 15 जून, 2006 को अनुमोदन-पत्र प्रदान किए जाने के उपरांत, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं और अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है, एतद्द्वारा तमिलनाडु राज्य में 16, जीएसटी रोड, पेरूंगलातूर ग्राम, चेन्नई में विशेष आर्थिक जोन के रूप में निम्नलिखित क्षेत्र (कुल क्षेत्र 10 हेक्टेयर) को अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट भूमि शामिल हैं, अर्थात् :—

तालिका

क्र.सं.	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1.	367/1ए2	7.03.39
2.	367/1बी	1.20.87
3.	367/1सी	1.69.94
4.	367/1डी	0.05.80
	योग	10

[सं. एफ.-2/92/2006-ईपीजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2006

S.O. 1633(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, and after grant of the letter of approval, on 15th June, 2006 under sub-section (10) of Section 3 to M/s. Shriram Properties and Infrastructure Private Limited for setting up of a Special Economic Zone for information technology and/or information technology enabled services Sector at Chennai in the State of Tamil Nadu, the Central Government, on being satisfied that the requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled, hereby notifies total area of 10 hectares at 16, G.S.T. Road, Perungalathur Village, Chennai in the State of Tamil Nadu, comprising of the land specified in the Table below, as Special Economic Zone, namely :—

TABLE

Sl. No.	Survey No.	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)
1.	367/1A2	7.03.39
2.	367/1B	1.20.87
3.	367/1C	1.69.94
4.	367/1D	0.05.80
	Total	10

[No. F-2/92/2006-EPZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

3064 GI/2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1156] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 2007/आश्विन 2, 1929
No. 1156] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 24, 2007/ASVINA 2, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2007

का.आ. 1589(अ).—यत: मै. श्रीराम प्रोपर्टीज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. ने तमिलनाडु राज्य के पेरूनगालतूर गाँव, चेन्नई में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यत: विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1633(अ) दिनांक 28 सितम्बर, 2006 द्वारा तमिलनाडु राज्य के पेरूनगालतूर गाँव, चेन्नई में कुल 10 हेक्टेयर क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया है;

और यत: मै. श्रीराम प्रोपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. ने विशेष आर्थिक जोन के एक भाग के रूप में तमिलनाडु राज्य में पेरूनगालतूर गांव, चेन्नई स्थित 13-40-88 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव किया है;

और यत: केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उक्त गाँव में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास एवं प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 20 अगस्त, 2006 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अत: अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा तमिलनाडु राज्य के पेरूनगालातूर गाँव, चेन्नई में 13-40-88 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को उस विशेष आर्थिक जोन के एक भाग के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :-

तालिका

क्र. सं.	सर्वे सं.	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	367/1ए 2	10.74.29
2.	367/1बी	00.00.63
3.	367/1सी	02.33.31
4.	367/1डी	00.32.65
	कुल	13.40.88

[फा. सं. एफ. 2/92/2006-ईपीजेड]

योगेन्द्र गर्ग, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2007

S.O. 1589 (E).—Whereas M/s. Shriram Properties and Infrastructure Private Limited, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Perungal athur Village, Chennai in the State of Tamil Nadu;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, has notified the total area of 10 hectares at Perungal athur Village, Chennai in the State of Tamil Nadu as Special Economic Zone in the Ministry of Commerce and Industry Notification No. S.O. 1633 (E) dated 28th September, 2006;

And, whereas, M/s. Shriram Properties and Infrastructure Private Limited has proposed to include an additional area of 13-40-88 hectares at Perungalathur Village, Chennai in the State of Tamil Nadu as a part of that Special Economic Zone;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the requirements under Sub-section (8) of Section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under Sub-section (10) of Section 3 of the Act for development and operation of the sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at the said Perungalathur Village, Chennai on 3rd May, 2007;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to Sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an additional area of 13.40.88 hectares at Perungalathur Village, Chennai in the State of Tamil Nadu, comprising of the Survey numbers and the area given in the Table below, to be included as a part of that Special Economic Zone, namely :—

TABLE

Sl. No.	Survey Numbers	Area (in Hectares)
1.	367/1A2	10.74.29
2.	367/1B	00.00.63
3.	367/1C	02.33.31
4.	367/1D	00.32.65
	Total	**13.40.88**

[F. No. F.2/92/2006-EPZ]

YOGENDRA GARG, Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1846] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 9, 2009/कार्तिक 18, 1931
No. 1846] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 9, 2009/KARTIKA 18, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2009

का.आ. 2857(अ).—यत: मै. श्रीराम प्रॉपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. ने तमिलनाडु राज्य में ग्राम पेरंगालातूर, चैन्नई में सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यत: केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 28 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1633(अ) में तमिलनाडु राज्य में ग्राम पेरंगालातूर, चैन्नई में 10 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में और तदनन्तर दिनांक 24 सितम्बर, 2007 के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1589(अ) द्वारा तमिलनाडु राज्य में उपर्युक्त उक्त ग्रामों में 13.40.88 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया है;

और यत: मै. श्रीराम प्रॉपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. ने तमिलनाडु राज्य में ग्राम पेरंगालातूर, चैन्नई में 7.75.78 हेक्टेयर के एक क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यत: केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं और अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं हेतु अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन से 7.75.78 हेक्टेयर क्षेत्र को.अनधिसूचित करते हुए अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत 26 अगस्त, 2009 को अनुमोदन-पत्र प्रदान कर दिया है;

अत: अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा तमिलनाडु राज्य में ग्राम पेरंगालातूर, चैन्नई में स्थित विशेष आर्थिक जोन की सर्वेक्षण संख्या 361/1ए2 (भाग) में से 7.75.78 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करती है।

[फा. 2/92/2006-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2009

S.O. 2857(E).—Whereas M/s. Shriram Properties and Infrastructure Private Limited, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Perungalathur Village, Chennai, in the State of Tamil Nadu;

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, has notified a total area of 10 hectares at Perungalathur Village, Chennai, in the State of Tamil Nadu as Special Economic Zone in the Ministry of Commerce and Industry notification number S.O. 1633(E) dated 28th September, 2006 and subsequently notified additional area of 13.40.88 hectares at above said villages in the State of Tamil Nadu as Special Economic Zone in the Ministry of Commerce and Industry notification number S.O. 1589(E) dated the 24th September, 2007;

And whereas, M/s. Shriram Properties and Infrastructure Private Limited, has proposed to de-notify an area of 7.75.78 hectares at Perungalathur Village, Chennai in the State of Tamil Nadu;

And whereas, the Central Government is satisfied that the requirement under sub-section (8) of Section 3 of the Act and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the Act for de-notification of 7.75.78 hectares from the notified Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services on 26th August, 2009;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby denotifies an area of 7.75.78 hectares, comprising at Survey Number 361/1A2 (Part), Perungalathur Village, Chennai, in the State of Tamil Nadu from the Special Economic Zone.

[F. 2/92/2006-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2333] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2017/श्रावण 26, 1939

No. 2333] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2017/ SRAVANA 26, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2017

का.आ. 2667(अ).—यत:, मै. श्रीराम प्रोपर्टीज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ने तमिलनाडु राज्य के पेरूनगालतूर गाँव, चेन्नई में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त आधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित एवं अनधिसूचित किया जिनका विवरण इस प्रकार है;

Ø-l-	vf/klpuk la[;k	fnukd	vf/klfpr {ks= gsDV;j esa	अनधिसूचित क्षेत्र हेक्टेयर में	कुल योग हेक्टेयर में
(i)	का.आ 1633(अ)	28.09.2006	10	—	10
(ii)	का. आ 1589(अ)	24.09.2007	13.40.88	—	26.40.88
(iii)	का. आ 2857(अ)	09.11.2009	—	7.75.78	15.65.10

और यत:, मैं. श्रीराम प्रोपर्टीज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 5.03.54 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया था तथा केन्द्र सरकार ने दिनांक 08.06.2010 को स्वीकृत कर दिया था;

और यत:, तमिलनाडु सरकार ने उनके दिनांक 06.06.2017 के पत्र सं. 15967/एम.आई.इ.2/2016-5 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यत:, विकास आयुक्त, एमईपीजेड विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 5.03.54 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

और यत:, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संम्बधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अत:, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा **5.03.54 हेक्टेयर** के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग में से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणत: कुल क्षेत्र **10.61.56 हेक्टेयर** हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल है, अर्थात:—

तालिका

क्रं.स.	ग्राम	सर्वे संख्या	अनधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	पेरूनगालतूर	367/1ए2	02.57.62
2.		367/1सी पार्ट	02.38.56
3.		367/1डी पार्ट	00.07.36
	कुल		05.03.54
उपर्युक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल शेष क्षेत्रफल			10.61.56

[फा. सं. एफ.2/92/2006-एस.ई.जेड़]

सुनील कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2017

S.O. 2667(E).—Whereas, M/s. Shriram Properties and Infrastructure Private Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology enabled services at Perungalathur Village, Chennai in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, had notified and de-notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below:—

S.No.	Notification No.	Date	Notified Area in Hectares	De-notified Area in Hectares	Total Area in Hectares
(i)	S.O. 1633 (E)	28.09.2006	10	-	10
(ii)	S.O. 1589 (E)	24.09.2007	13.40.88	-	23.40.88
(iii)	S.O. 2857 (E)	09.11.2009	-	**7.75.78**	**15.65.10**

AND, WHEREAS, M/s. Shriram Properties and Infrastructure Private Limited has proposed for de-notification of 5.03.54 hectares and Central Government has granted approval on 08.06.2010.;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 15967/MIE.2/2016-5, dated 06.06.2017;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 5.03.54 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 5.03.54 hectares**, thereby making resultant area as **10.61.56 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:—

TABLE

S.No.	Name of village.	Survey No.	Area to be de-notified (in Hectares)
1.	Perungalathur	367/1A2	02.57.62
2.		367/1C Part	02.38.56
3.		367/1D Part	00.07.36
	Total		**05.03.54 hectares**
Total Remaining Area of SEZ after above deletion			**10.61.56 hectares**

[F. No. F.2/92/2006-SEZ]

SUNIL KUMAR, Addl. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.08.19 16:51:47 +05'30'

Uploaded by Dte of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022021-224928
CG-DL-E-04022021-224928

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 2021/माघ 15, 1942
No. 472] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 2021/MAGHA 15, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2021

का.आ. 520(अ).—यतः, मै. गेटवे ऑफिस पार्क्स प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व में मै. श्रीराम प्रोपर्टीज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड), ने तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के सं. 16, जी.एस.टी. रोड, गाँव पेरुनगालतूर में, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न तालिका में उल्लेखित क्षेत्रों को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में अधिसूचित तथा अनधिसूचित किया था;

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(i)	का. आ. 1633(अ)	28.09.2006	10	-	10
(ii)	का. आ. 1589(अ)	24.09.2007	13.4088	-	23.4088
(iii)	का. आ. 2857(अ)	09.11.2009	-	7.7578	15.6510
(iv)	का. आ. 2667(अ)	10.08.2017	-	5.0354	**10.6156**

और यतः, मै. गेटवे ऑफिस पार्क्स प्राईवेट लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से 00.4788 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र सं.6060/एमआईई.-2/2019-2 दिनांक 11.10.2019-2 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, मेप्ज विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 00.4788 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप–धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में से **00.4788 हेक्टेयर क क्षेत्र को अनधिसूचित करती है**, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल **10.1368 हेक्टेयर** हो जाएगा, जो निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:–

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम संख्या	गाँव का नाम	पुराना सर्वे नम्बर	नया सर्वे नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	पेरुनगालतूर	367/1ए2 (भाग)	367/7 (भाग)	00.3435
2		367/1बी	367/1बी2	00.0478
3		367/1सी (भाग)	367/1सी2 (भाग)	00.0875
कुल				**00.4788**
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल शेष क्षेत्रफल				**10.1368**

[फा. सं. एफ. 2/92/2006–एसईजेड]

अमिताभ कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2021

S.O. 520(E):—Whereas, M/s. Gateway Office Parks Private Limited (formerly M/s. Shriram Properties and Infrastructure Private Limited), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology enabled services at No. 16, G.S.T. Road, Perungalathur Village, Chennai in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified and de-notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below in the table: -

S. No.	Notification No.	Notification Date	Notified Area (in Hectares)	De-notified Area (in Hectares)	Resultant Area (in Hectares)
(i).	S.O. 1633 (E)	28.09.2006	10	-	10
(ii).	S.O. 1589 (E)	24.09.2007	13.4088	-	23.4088
(iii).	S.O. 2857 (E)	09.11.2009	-	7.7578	15.6510
(iv).	S.O. 2667 (E)	10.08.2017	-	5.0354	**10.6156**

AND, WHEREAS, M/s. Gateway Office Parks Private Limited has proposed for de-notification of 00.4788 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 6060/MIE.2/2019-2, dated 11.10.2019;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 00.4788 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 00.4788 hectares**, thereby making resultant area as **10.1368 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICAITON AREA

S. No.	Name of village.	Old Survey No.	New Survey No.	Total Area (in Hectares)
1.	Perungalathur	367/1A2(Part)	367/7 (Part)	00.3435
2.		367/1B	367/1B2	00.0478
3.		367/1C (Part)	367/1C2 (Part)	00.0875
Total				**00.4788**
Grand Total Area of SEZ after above deletion				**10.1368**

[F. No. F.2/92/2006-SEZ]

AMITABH KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM